UNDERTAKING

(By student and parent at the time of admission)

I______S/o, D/o ______

R/O ______seeking admission in _____ course ______ batch do hereby undertake to abide by the following rules and

regulations being adopted at **SC Guria IMT Kashipur**.

In witness of my Father / Mother

Points of undertaking

- ٠ I will always maintain utmost discipline in the college/ classrooms/ labs/ workshop and library.
- I will not operate/ use any equipment/ machine without permission of the Lab in-charge/ instructor. •
- I will never handle any equipment/ machine without knowing its exact operations and/ or damage due to my • negligence, carelessness and/ or lack of working knowledge.
- I will always take prescribed safety measures to safeguard my self and properties of SC Guria IMT.
- I will follow the instructions of the college authorities to maintain the safety, security and cleanliness of the campus • and will not mishandle or temper any machinery / equipments.
- I will enter or leave the classrooms/ labs/ workshop etc. in the prescribed timings. •
- I will not misuse or otherwise damage any material issued to me or to my group. •
- I am aware that the fees once paid in all the courses is neither refundable nor adjustable under any circumstances • what so ever.
- If I am suspended/ expelled from the Institute or hostel due to indiscipline committed by me, I will not make any claim for refund of any payments made by me.
- I will come in prescribed uniform, failing which I will not be allowed to attend the classes. •
- I will actively participate in the extra / co-curricular activities organized by the Institute. •
- I will strictly follow the rules and regulations of the library and labs. •
- I am aware that I have to pass the internal tests as prescribed. If I do not appear in the internal tests then I shall be . detained in the final examination.
- I will attend the minimum number of classes in each semester without relaxation on any ground. If I fail to fulfill required 75% attendance as per norms of the University, I may be debarred from appearing in the examination.
- (Applicable only for Girls) I am aware that all outstation girls taking admission in SC Guria IMT will have to stay in • the girls hostel for the entire tenure of the course.
- Any new guidelines related to change in fees etc. imposed by the State Government or by the University will be • accepted by me and in no case I will deny the same for making any payment SC Guria IMT or otherwise.
- Since I have been given a Provisional Admission, and under any circumstances, if my admission is cancelled, will have no problem in withdrawing my self from the Institute and shall accept the refund of the fees deposited by me, as per the norms of the institute.

I understand that if any of the certificates produced by me at the time of admission is fake / forged or does not meet the eligibility criteria of the Institute and University then my admission will be treated as cancelled and the Institute will have all the rights to take legal action against me.

If I am found not obeying any rules, mentioned above I will be liable to be punished in the form of fine / compensation for damage / cancellation of admission from SC Guria IMT.

Student's Name	 Parent's Name)
Signature	 Signature	
Date	 Date	

Affidavit (by student and parent)

माता/पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाणपत्र

1.	म
	पिता/माता /अभिभावक ने रैगिंग
	निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के
	इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण
	संस्थानों मे रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है
	तथा पूर्णतया समझ लिया है।

- मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ लिया है समझा लिया है और मैं यह 2. जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
- मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है अगर मैं किसी तरह की 3. रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता हैं।
- मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करुँगा कि : 4.
 - मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं क) लुँगा ∕ लुँगी।
 - मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा ख) 3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।
- मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लुँगा/लुँगी अथवा किसी भी प्रकार से 5. रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग 7. मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं।

हस्ताक्षर	दिनांक
महीना	वर्ष

हस्ताक्षर

नाम, पता, दूरभाष नं.

शपथ प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथपत्र में दी गई जानक	
तथ्य गलत है। शपथपत्र में किसी तरह के तथ्य को न छिपाया है न ही	गलत बयान दिया हैं।
सत्यापितस्थान	
दिनव	र्ष

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथपत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किये।

शपथ आयुक्त

अभ्यार्थी का शपथ प्रमाणपत्र

- अभ्यर्थी ⁄छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र ⁄पुत्री 1. श्री/श्रीमती/सश्री ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ लिया है।
- मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह 2. जानता / जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है।
- 3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता हैं।
- मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करुँगा/करूगी कि : 4.
 - में किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं क) लँगा∕लँगी।
 - ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।
- मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से 5. रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।
- 6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग 7. मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं।

हस्ताक्षर	दिनांक
महीना	वर्ष

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

शपथ प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथपत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई
न कोई तथ्य गलत है। शपथपत्र में किसी तरह के तथ्य को न छिपाया है न ही गलत बयान
दिया हैं।
सत्यापित

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथपत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किये।

शपथ आयुक्त

Note : This form should be submitted neatly typed on 10 Rs. Stamp Paper and attested by a notary.